<u>**न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।**</u>

<u>**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–        /2026**</u>

**CNR.NO. UPAU**

राज्य बनाम अखिलेश कुमार उर्फ लाल।
मुकदमा सं0–4352/2025
मु0अ0सं0–273/2022
धारा–60 आबकारी अधिनियम
थाना–ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

<u>**दिनांक–10.03.2026**</u>

1. अभियुक्त **अखिलेश कुमार उर्फ लाल पुत्र सुरेन्द्र बाबू** की ओर से मु0अ0सं0–273/2022, अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से शराब की बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हैं।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं आत्मसमर्पण किया है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आक्षेपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए बिना गुण दोष पर टीका–टिप्पणी किये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त द्वारा 20,000/–रूपये की एक जमानत एवं समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्त को आरोप पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों की प्रतियां निशुल्क प्रदान करें। अभियुक्त आरोप के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत दिनांक को उपस्थित हो।

**(कुशाग्र मिश्र)**
**अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0**
**बिधूना, औरैया**
**J.O. Code : UP4693**